वस्त्र निगम की बंद मिलों की जमीनों पर लगेंगे नए उद्योग

राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग, स्टेट यार्न और सहकारी कताई मिल्स की जमीनों पर फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

लगभग 1,000 एकड़ जमीन पर नई इकाइयां लगाने का रास्ता खुला, 500 करोड़ का कर्ज माफ

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश सम्मेलन में हुए निवेशकों को जमीनें देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग, स्टेट यार्न और सहकारी कताई मिल्स की बंद पड़ीं इकाइयों में फंसी जमीनों को मुक्त किया जाएगा। करीब एक हजार एकड़ जमीन पर बसी इन इकाइयों पर बकाया कर्ज में से लगभग 500 करोड़ रुपये की बकायेदारी को माफ कर दिया गया है। शेष धनराशि नीलामी से प्राप्त होगी।

इन चारों इकाइयों पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। वर्ष 2023-24 में उप्र सहकारी कताई मिल संघ, उप्र स्टेट यार्न, उप्र स्टेट स्पिनिंग व कताई मिल्स संघ लि. कानपुर की देनदारियों के निस्तारण के लिए 878.18 करोड़ रुपये, स्टेट स्पिनिंग की रायबरेली, मऊनाथ भंजन और बाराबंकी इकाइयों की देनदारियों के निस्तारण के लिए 194.71 करोड़, स्टेट स्पिनिंग की दी गई अंशपूंजी के सब्सिडी के लिए 93.24 करोड़ और उपरोक्त सभी के बकाया मूलधन के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ये कुल रकम 1666.13 करोड़ है।

सहकारी कताई मिल्स संघ लि. कानपुर के पास 11 जिलों में लगभग 705 एकड़ जमीन है।

आवास विकास विभाग को इन जमीनों का भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी कानपुर की जमीनों पर एमएसएमई औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। इस योजना का शासनादेश जारी हो चुका है। कताई मिल्स पर बकाया 329 करोड़ रुपये को ब्याज सहित माफ करने के अनुमोदन के बाद बेकार जमीन पर एमएसएमई औद्योगिक पार्क विकसित होगा। सरकारी देनदारियों के अलावा 22.14 करोड़ का भुगतान एमएसएमई विभाग करेगा। मऊ में एमएसएमई पार्क की स्थापना यूपीएसआईसी करेगी।

इन मिलों के बकाया माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई गई। इस संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के नेतृत्व में जुलाई व अगस्त में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए थे। टैक्सफैड की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीनों के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल पर बकाया करीब 286 करोड़ में से 41 करोड़ का ऋण माफ कर दिया गया। राज्य वस्त्र निगम, स्टेट यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स संघ पर बकाया करीब 913 करोड़ में से 444 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना होगा। इस तरह तीनों को 469 करोड़ रुपया माफ किया गया है।